10/1/19 वकील अपीलान्ट उपस्थित नहीं। वकील अपीलान्ट को रूक-रूक आवाज लगवाई गई। वकील अपीलान्ट व स्वयं अपीलान्ट उपस्थित नहीं। अतः अपील अदम ~~अपील~~ हाजरी अदम परवी गे 0५।R।। के उपनियम (2) के तहत खारिज की जाती है। पत्रावली बाद तफमिल दाखिल दफ्तर हो। नकल सेकमटे

(भागवन्ती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा